

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 02 सितम्बर, 2026

संशोधित अधिसूचना

समसंख्यक अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2026/6727 दिनांक 19.08.2026 एवं प्रेस नोट क्रमांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2026/6722 दिनांक 19.08.2026 के क्रम में राज्य के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव माह अगस्त-सितम्बर में दो चरणों में दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) को करवाये जाने के मद्देनजर भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन चुनाव कार्यक्रमानुसार दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) का अवकाश घोषित किया जा चुका है।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/7019 दिनांक 22.08.2026 द्वारा झुन्डुनू पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/7151 दिनांक 25.08.2026 द्वारा पाली, पत्रांक एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2024/7231 दिनांक 26.08.2026 द्वारा बीकानेर के नगरीय निकायों में मतदान तिथि परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपर्युक्तानुसार झुन्डुनू, पाली व बीकानेर जिलों के नगरीय निकायों में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के संलग्न पत्रांकों अनुसार मतदान की तिथि परिवर्तित होने के कारण मतदान की तिथि को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न:- यथोक्त ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(हरीश लड्डा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक / मुम्बई / नागपुर / दिल्ली / जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
16. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
18. महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लॉट नम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, जयपुर, फ़ोन-302018
19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3-नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
24. राष्ट्रीय आवास बैंक, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
25. मुम्बई चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001
27. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसिएशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया, टोंक रोड, जयपुर।
28. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
29. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
30. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
31. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
32. मन्त्री, को-ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।
33. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com. Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/26/7721

दिनांक: 03-09-26

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप सचिव